मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 08/परीक्षा/2010/12.7.2010 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.8.2010**

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 17.7.2010 (दोपहर 12.00) से 17.8.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग** के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				रिक्तियों में से वर्गवार विकलांग आवेदकों के लिये आरक्षित पद			
			अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
01.	प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय Principal Higher Secondary School	240	84	44	78	34	25	13	23	10	05	02	04	02

नोट - (01) उक्त रिक्तियों में अनुसूचित जाति के 25, अनुसूचित जनजाति के 54 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 23 इस प्रकार कुल 102 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं।
(02) विकलांग हेतु आरक्षित पदों का विकलांग श्रेणीवार (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित) विवरण पृथक से प्रकाशित किया जायेगा।

टीप- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

दो पद का विवरण

(अ) पद का नाम : प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Principal Higher Secondary School)
(ब) विभाग का नाम : स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(द) पद स्थिति : स्थायी
(इ) वेतनमान : रु. 8000-275+13500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज) अनिवार्य अर्हता :
शैक्षणिक — स्नातकोत्तर उपाधि (कम से कम द्वितीय श्रेणी में)। Post Graduate Degree (Minimum Second Division)
अनुभव — उच्चतर माध्यमिक शाला कक्षाओं (11वीं, 12वीं)/हाईस्कूल कक्षाओं (09वीं, 10वीं) में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव। Teaching Experiance in Higher Secondary School Classes (11th, 12th)/High School Classes (09th, 10th)
प्रशिक्षण — बी.एड. अथवा उसके समकक्ष अर्हता। B.Ed. or Equivalent Qualification
(फ) कर्तव्य : संस्था का प्रशासन एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर नियंत्रण।

टीप - 01 आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
02 संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होनी चाहिए।

तीन 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 38 वर्ष पूर्ण न की हो। **आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।** आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-एक** देखें।
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

पाँच जो आवेदक मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में स्थायी/अस्थायी शिक्षक हैं वे अपनी आयु में से वह अवधि घटा सकते हैं जो उन्होंने शासकीय संस्थाओं में अध्यापन में व्यतीत की है किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि आयु में से यह काल घटाने पर निर्धारित उच्चतम आयु सीमा (38 वर्ष) का उल्लंघन नहीं होना चाहिये।

छः मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -
अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ अधिवार्षिकी आयु- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग प्रत्याशियों को (शासन के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक दिनांक 31.3.2005 में विहित प्रावधान के अनुसार) अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।**

दस परीक्षा की तिथि - 28.11.2010

ग्यारह परीक्षा केन्द्र - लिखित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा स्थित परीक्षा केन्द्रों पर दो सत्रों में (प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर पश्चात् 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक) आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।

बारह आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

तेरह प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

चौदह प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं।

पन्द्रह यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

सोलह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -
(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-एक**
(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियों हेतु **परिशिष्ट-दो**
(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-तीन**

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें

(1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।
टीपः- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है)

(4) विकलांग आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। यह छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विकलांग आवेदकों को उन्हें देय 5 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी। विकलांग आवेदकों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत अथवा अधिक विकलांगता प्रमाणित हो ही मान्य किये जायेंगे।

(5) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।
(जो आवेदक मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में स्थायी/अस्थायी शिक्षक हैं वे अपनी आयु में से वह अवधि घटा सकते हैं जो उन्होंने शासकीय संस्थाओं में अध्यापन में व्यतीत की है किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि आयु में से यह काल घटाने पर निर्धारित उच्चतम आयु सीमा (38 वर्ष) का उल्लंघन नहीं होना चाहिये)

(6) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-
छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम

रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(7) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें**

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- **(1)** **परिशिष्ट-एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा विंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) **परिशिष्ट-एक (दो)** के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) **मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।**

(जो आवेदक मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में स्थायी/अस्थायी शिक्षक हैं वे अपनी आयु में से वह अवधि घटा सकते हैं जो उन्होंने शासकीय संस्थाओं में अध्यापन में व्यतीत की है किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि आयु में से यह काल घटाने पर निर्धारित उच्चतम आयु सीमा (38 वर्ष) का उल्लंघन नहीं होना चाहिये)

नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Principal Higher Secondary School) के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
   1. www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्केनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उस वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।

8. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

9. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होगा।

(ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रु. 60/- कुल रुपये 90/- देय होंगे। इस पद हेतु मात्र 40% या अधिक विकलांगता होने पर ही शुल्क का लाभ देय होगा।

(स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये 180/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए कुल शुल्क	**शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए कुल शुल्क**
90/- रुपये	180/- रुपये
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।	
आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।	

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

टीपः- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-
01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983
एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026
फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 17.8.2010** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. **आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निम्न प्रमाण पत्रों को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा - आयु संबंधी प्रमाण के लिये-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव के प्रमाण पत्र - अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक अनुभव धारित करने वाले आवेदकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें **आवेदक द्वारा पढ़ाई गयी कक्षाओं तथा अध्यापन अवधि का स्पष्टतः उल्लेख हो** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अध्यापन अनुभव रखने वाले आवेदकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

विकलांगता प्रमाण पत्र-

विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर विकलांग भी लिखे। (विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-5 से 7 तक) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश -**

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
2. प्रतिरूपण किया हो; या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएँ -**
ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **प्रवेश पत्र -**
01 किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। **एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5/- रुपये शुल्क देय होगा।**
03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से संपर्क करें।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983
एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026
फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

9. **यात्रा व्यय का भुगतान -**
1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों तथा दृष्टिबाधित विकलांग आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे -
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित विकलांगता के प्रमाणन हेतु चिकित्सा मंडल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
ऐसे आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव

परिशिष्ट-3

प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना

1. प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिखित परीक्षा में कुल दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन भाग-एक तथा भाग-दो में शिक्षा संबंधी ज्ञान, सिद्धान्त, मनोविज्ञान और वित्त एवं लेखा के सामान्य नियमों से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के चार संभावित A, B, C, D उत्तरों वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। सामान्य अध्यन भाग - एक में 50 प्रश्न होंगे तथा भाग - 2 (शिक्षा प्रशासन) से 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र कुल 150 प्रश्नों का होगा इसके सम्पूर्णांक 300 होंगे। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जावेगा।
2. द्वितीय प्रश्न पत्र विषय निष्ठ/वर्णनात्मक होगा। इसमें एक प्रश्न 60 अंकों का हिन्दी अथवा अंग्रेजी में निबंध लेखन का तथा संक्षिप्तीकरण (प्रेसी रायटिंग) के दो प्रश्न 20-20 अंकों के क्रमशः हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र का संपूर्णांक 100 होगा।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घण्टे होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
4. आवेदकों को लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंकधारी उत्तीर्ण माने जावेंगे। मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देते हुए उनके 30 प्रतिशत अंकधारी उत्तीर्ण माने जावेंगे। किन्तु रिक्त पदों के मान से उच्च प्राप्तांकधारी (मेरिट क्रमानुसार) तीन गुना परीक्षार्थियों के साथ ही समान अंकधारी परीक्षार्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
5. साक्षात्कार के कुल 50 अंक निर्धारित हैं। आवेदकों का अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मैरिट अनुसार (उच्च अंकधारी) घोषित किया जायेगा।
6. परीक्षा मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय के निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होगी -
(1) इंदौर (2) भोपाल (3) जबलपुर (4) ग्वालियर
(आवेदक की संख्या को देखते हुए केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है।)

परिशिष्ट-ब

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन खण्ड 'अ' Section 'A'

सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में निम्नलिखित ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे -

1. सामान्य विज्ञान General Science
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएँ Current events of National and International Importance.
3. भारत का इतिहास History of India.
4. भारत का भूगोल (विशेषतः म.प्र. के संदर्भ में) Geography of India with special reference to M.P.
5. भारतीय प्रशासन पद्धति और अर्थशास्त्र Indian Polity and Economics.
6. खेलकूद Sports
7. सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न Questions on general mental ability.
8. सामान्य ज्ञान से संबंधित अन्य प्रश्न Other questions relating to General Knowledge.

शिक्षा खण्ड 'ब' Section 'B'

इकाई - एक : शिक्षा के आधार -
शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य : भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा एवं समाज का संबंध - लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मानवीय पूंजी निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा तथा शैक्षिक नियोजन, समुदाय एवं विद्यालय के मध्य सहयोग - सामुदायिक केन्द्र के रूप में विद्यालय का स्वरूप, पालक-शिक्षक संघ, सामाजिक गतिशीलता-क्षैतिज एवं उदग्र, शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव।

इकाई - दो : शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व -
शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, सिद्धान्त और प्रविधियाँ, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासनिक युक्तियां, कक्षा प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, शैक्षिक पर्यवेक्षण-अर्थ एवं युक्तियां, विद्यालयीन स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण में अपेक्षित सुधार, विद्यालय परिवेश एवं कक्षागत परिवेश की विश्लेषण-विधियाँ, प्रधानाचार्य से अपेक्षायें, मध्यप्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन।

इकाई - तीन : विद्यालय संगठन एवं सुधार -
विद्यालय आरम्भ करने की शर्तें, संस्थागत पर्यावरण एवं संगठनात्मक चारित्य (इथॉस), विद्यालय का समाज से संबंध, समय-सारिणी निर्माण के सिद्धान्त एवं कार्यभार निर्धारण, छात्र प्रबंध, प्रवेश, वर्गीकरण एवं प्रोन्नति से तात्पर्य, प्रोन्नति के साधन, विद्यालय-अभिलेख, संचयी-अभिलेख एवं उसकी उपयोगिता, प्रभावी विद्यालय की धारणा, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग।

इकाई - चार : शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान - शैक्षिक प्रबंध की दृष्टि से -
शिक्षण एवं अधिगम में अंतर, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध, अधिगम की अवधारणा, अधिगम के सिद्धान्त-व्यवहारवादी (पवलोवियन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक विशेषतायें), संज्ञानवादी-गेस्टाल्ट-क्षेत्र सिद्धान्त एवं ब्रूनर के अधिगम सिद्धान्त, शिक्षण के प्रतिमान (मॉडल), सम्प्रत्यय-सम्प्राप्ति एवं पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, भारतीय संदर्भ में इनका अनुप्रयोग एवं विकास, विकास का मनोविज्ञान, किशोरावस्था की विलक्षणतायें एवं उनका शैक्षिक निहितार्थ - पाठ्यक्रम निर्माण शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंध की दृष्टि से। समंजन की अवधारणा एवं प्रक्रिया तथा समंजित व्यक्ति की विशेषताएँ, किशोरावस्था से संबंधित अपचारिता के कारक एवं उनके निराकरण हेतु युक्तियां/बुद्धि एवं व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणायें एवं उनका शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों के गठन में निहितार्थ/मूल्यांकन एवं मापन अंतर तथा आधुनिक सम्प्रत्यय यथाःसतत मूल्यांकन एवं निकर्ष-संदर्भित मूल्यांकन।

इकाई - पांच : अध्यापन एवं मूल्यांकन -
सम्प्रेषण की अवधारणा, शिक्षण में सम्प्रेषण, शिक्षण-अधिगम परिस्थिति का अन्तर्क्रिया-विश्लेषण की पद्धतियों द्वारा व्यवस्थित प्रेक्षण, क्यों तथा कैसे, फ्लेन्डरस की अन्तर्क्रिया विश्लेषण विधि तथा उसके संशोधित एवं परिवर्द्धित स्वरूप यथा समतुल्य वार्ता श्रेणियां (बेन्टले एवं मिलर) पारस्परिक अनुवर्ग विधि (ओवर) तथा एमिडन एवं हन्टर की वाचिक श्रेणियाँ, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अध्यापन व्यवहार, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी-हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं व्यवस्था उपागम, शिक्षण के रचना कौशल-परिचर्चा, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रदर्शन एवं विचारावेश प्रक्रियाएँ, अभिक्रमित-अधिगम-अवधारणा, प्रकार एवं भारतीय संदर्भ में उपयोग, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं चयन में निहित सिद्धान्त, प्रभावी अध्यापन-अर्थ, अवधारणा एवं मापन की प्रविधियाँ, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं उपबोधन (काउन्सेलिंग), नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, आदर्श परीक्षण के सिद्धान्त एवं लक्षण विद्यालय के संदर्भ में आदर्श प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु अपेक्षित कार्य एवं शिक्षक से अपेक्षाएँ।

इकाई - छः - शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार -
शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ - भारतीय परिपार्श्व, मुदालियर शिक्षा आयोग (1950-52), शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), नवीन शिक्षा नीति (1985) एवं शिक्षा का लोक-व्यापीकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता, गुणवत्ता एवं स्वायत्तता की समस्या, शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक - दूरवर्ती एवं खुली शिक्षा प्रणाली एवं आनुपंगिक व्यवस्थाएँ - उनकी अवधारणायें, नीतिगत परिप्रेक्ष्य एवं समस्यायें, शिक्षा में नवाचारी प्रवृत्तियाँ, कम्प्यूटर संबंधित अधिगम एवं शिक्षण, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, मूल्यों पर आधारित शिक्षा एवं शिक्षण के विकास में शिक्षक की भूमिका, रचनात्मक शिक्षण एवं एतद्‌विषयक उठाये गये पग।

Section - 'B' : Education

Unit-I : Foundation of Education
Meaning and aims of education, goals of a democratic educational system, constitutional provisions relating to education in India. Social foundations of education-relationship between education and society, democratic socialism, secularism, national unity (integration), education and national development, concept of education as an investment in human capital and educational planning, co-operation between school and community the school as a community centre, parent-teacher association, social mobility horizontal and vertical, influence of education on social mobility.

Unit-II : Educational administration and leadership
Aims of educational administration – principles and techniques, school management and administrative tactics, class-room management and administrative systems, educational supervision-meaning and strategies, needed improvement in educational supervision at school level, Methods of analysing the school environment (ecology) and the class room ecology, expectations from a principal. The educational organization and administration of higher secondary schools in Madhya Pradesh.

Unit-III : School Organization and its improvement
Conditions for starting a school, institutional environment and organizational ethos, relationship of a school with society, Principles of framing a time-table & work load determination, student management, admission, classification and promotion its meaning and method of promotions, school records cumulative record and its utility, concept of an effective school, concept of action research in education and its use in making school organization effective.

Unit-IV : Psychology of teaching and learning in terms of education management perspectives
Difference between teaching and learning, relationship between teaching and learning, concept of learning, theories of learning, behaviouristic (Pavlovian and operant conditioning and their procedural and theoretical characteristics), Cognitive-gestalt field theory and learning theory of Bruner, Models of teaching concept attainment and enquiry-training models, their application in the Indian context, Developmental Psychology, Characteristic features of adolescence and their educational implications in terms of curriculum designing and management of teaching and school, concept of adjustment and its process, characteristics of a well adjusted person, factors associated with juvenile delinquency (maladjustment) and strategies for their minimisation, Modern concepts of intellegence and personality and their implications for organizing teaching-learning systems : Difference between evaluation and measurement, modern concept of evaluation such as continuous evaluation and criterion referenced evaluation.

Unit-V : Teaching and Evaluation
Concept of communication, communication in teaching, systematic observation of teaching - learning systems through interaction – analysis procedures-why and how? Flanders interactional analysis procedure and its modified and expanded versions such as Equivalent talk categories of Bentley and Miller, Reciprocal category system of Richard ober and Amidon and Hunder's Verbal intraction categories, Direct and indirect teaching behaviour, Educational technology hardware, software and system's approach, Strategies of teaching such as discussion, question answer, lecture, demonstration and brain storming procedures, concept of programmed learning, types of programme and use in the Indian context, Principle's underlying framing and selection of text books, effective teaching-meaning, concept and measurement techniques, Educational and vocational guidance and counselling. Diagnostic and remedial teaching, Principles of an ideal testing programme and its characteristics, needed task for designing an ideal question paper with reference to a school and expectations from the teacher.

Unit-VI : Qualitative aspects of education and innovations
Development of education and its problems in the Indian scene, Mudallar Education Commission (1950-52), Education Commission (1964-66), National Policy on education (1968), New education policy (1985) and universalization of education, Equality of educational opportunity, problem of quality and autonomy, formal, non-formal distance and open education systems and informal arrangements of education their concept, policy perspectives and problems, innovative trends in education, Computer-assisted learning and teaching (calt), professional improvement of teachers, value-based education and the role of teacher in the development, creative teaching and steps taken in this regard.

G-15577/2307/2010